बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

सं०सं०–2/एम०एम० (बा०) 09/14–4371/एम०, पटना, दिनांक–29/11/18

E-mail/Fax
Web

प्रेषक,

अंशुली आर्या, भा०प्र०से०,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता।

विषयः– लघु खनिज बालू का विक्रय मूल्य निर्धारण करने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–4333/एम0, दिनांक–26.11.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि लघु खनिज बालू के विक्रय मूल्य निर्धारण हेतु संसूचित अनेक विभागीय निदेशों के बावजूद अधिकांश जिलों से एतद् संबंधी प्रतिवेदन अद्यतन अप्राप्त है। ध्यातव्य है कि बालू के दर के संबंध में उच्चतम स्तर पर समीक्षा की जा रही है, अतएव अनुरोध है कि प्रसंगाधीन पत्र द्वारा संसूचित निदेश के आलोक में अपेक्षित प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराया जाय, ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

2. अद्यतन समय में बालू के बाजार मूल्य में काफी वृद्धि दर्ज की गई है, अतएव अपने प्रभाराधीन जिलान्तर्गत किन्ही जिम्मेवार पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में चयनित करते हुए निदेशित किया जाय कि प्रतिदिन बालू के बाजार मूल्य की विवरणी एकत्रित कर विभागीय नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या **0612-2215350, 2215351** तथा विभागीय ई–मेल **secymine-bih@nic.in** पर उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

29/11

प्रधान सचिव

E-mail

ज्ञापांक–4371/एम0, पटना, दिनांक–29/11/18

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

29/11

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 4371/एम0, पटना, दिनांक–29/11/18

प्रतिलिपिः– सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/सभी खनिज विकास पदाधिकारी/सभी खान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–......4371....../एम0, पटना, दिनांक– 29/11/18

प्रतिलिपिः– I.T Manager/नियंत्रण कक्ष, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं निदेशित किया जाता है कि प्राप्त सूचना/विवरणी के आधार पर समेकित प्रतिवेदन तैयार कर सहायक निदेशक (मु0) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

29/11/18

सरकार के अवर सचिव